न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 60/2017

अपीलार्थी–
बाबूलाल पुत्र पोलाराम, जाति नाई
निवासी भाडखा

बनाम

रेस्पोडेंट –
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2017 जो प्रकरण सं. 142/2017 सरकार बनाम बाबूलाल मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09/07/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा प्रकरण सं. 142/2017 मे पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भाडखा ने दिनांक 04.09.2017 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–06 गैर मुमकीन मगरा की भूमि मे से 15–00 बीघा भूमि पर गैर सायल बाबूलाल द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलार्थी) को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.17 पारित कर अपीलार्थी को एक माह के सिविल कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। इस

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांर्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती तथ्यों एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना की है जिससे यह आदेश काबिल अपास्त है। अपीलार्थी ग्राम भाडखा का निवासी है जो भूमिहीन काश्तकार है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पीढ़ीयों से पुराना कब्जा चला आ रहा है जिसमें अपीलार्थी की पुरानी ढाणी बनी हुई है। अपीलार्थी के परिवार का जीवनयापन उक्त भूमि पर काश्त के द्वारा होता है। अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय पोला के विरूद्ध भी पूर्व में विवादित भूमि के सम्बन्ध में धारा 91 के तहत् गलत मामला दर्ज किया गया था जबकि अपीलार्थी के पिता का वर्षो से कब्जा था एवं संवत् 2035 से 2045 की खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत कर अपना कब्जा सिद्ध कराया था। इस कारण कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत् नियमन की अधिकारिता एवं स्वयं अपर जिला कलक्टर बाड़मेर ने अपील संख्या 134/1991 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.1992 के द्वारा अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय पोला को नियमन का पात्र माना। इस आधार पर अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी था किन्तु दुर्भावना पूर्वक नियमन नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय पोला को भी धारा 91 के तहत् सजा दी गई थी जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कब्जा हटाये जाने पर सजा से मुक्त किया गया था किन्तु उक्त भूमि से अपीलार्थी के पिता का कभी भी वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा नहीं हटाया गया था। तत्पश्चात् पोला की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई भी अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलार्थी ने अधिवक्ता नियुक्त करने एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा था। अतः इन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर विवादित भूमि नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि संवत् 2074 की गिरदावरी के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 15–00 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज काश्त बोकर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् कार्यवाही प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित हुआ किन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना एवं फसल निलामी के साथ एक माह के सिविल कारावास की सजा भुगतने का अपीलाधीन विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा अतिक्रमी के रूप में नाजायज कब्जा करने पर की गई अपीलाधीन कार्यवाही एवं आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् बहाल रखा जावें।

6. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि संवत् 2074 की गिरदावरी के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 15–00 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त बोकर अतिक्रमण करना पाये जाने पर हलका पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् कार्यवाही प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संस्थित कार्यवाही में कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया। इस अपील के द्वारा स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उसका मुतनाजा भूमि पर कब्जा–काश्त रहा है जिसके लिए उसके पिता के विरूद्ध भी धारा 91 के तहत बेदखली एवं सिविल कारावास का आदेश पारित हुआ था। उक्त आदेश राजस्व मण्डल द्वारा अपीलार्थी को कब्जा हटाये जाने की दशा में सिविल कारावास की सजा से उन्मोचित किया जाना प्रकट किया है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सार्वजनिक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने एवं काश्त बोने के लिए अपीलाधीन आदेश के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया है उसमें कोई विधिक या वाक्याती भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी का उक्त भूमि पर नियमन का अधिकार होना प्रकट किया है वह सुसंगत नियमों के तहत् पृथक कार्यवाही के द्वारा ही निस्तारित किया जा सकेगा, साथ ही एक अतिक्रमी की हैसियत से नियमन का अधिकार स्वरूप दावा नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर अन्यथा अपने हक अधिकार के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner